

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 11414/78

दिनांक :- 25.01.2018

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री सुनीता मीणा [लिंक न. 11414] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय उप  
कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, रामगंजमण्डी, कोटा - [2951] को राजस्थान सेवा नियमों  
के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 19/09/2017 से 20/09/2017 तक 2 दिवस

दिनांक 25/09/2017 से 26/09/2017 तक 2 दिवस

दिनांक 29/09/2017 से 09/10/2017 तक 11 दिवस

कुल 15 दिवस

उक्त कुल 15 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री सुनीता  
मीणा की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।

  
(मंजुला वर्मा)

निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 11414/78

दिनांक :- 25.01.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, रामगंजमण्डी, कोटा
2. कोषाधिकारी कोटा
3. श्री /श्रीमती / सुश्री सुनीता मीणा [11414] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय उप कोषाधिकारी,  
कोष एवं लेखा विभाग, रामगंजमण्डी, कोटा
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
- ✓ 5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली

  
(शिल्पी कौशिक)